तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी / उपतहसीलदार झंवर) सू.अ.अ. अपील संख्या 167 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण निवासी 79, हनुवंत बी सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.09.18 में उसके द्वारा (1) जिला कलक्टर (भू.अ.)जोधपुर के पत्रांक 11202 दिनांक 23.11.17 के बिन्दु संख्या 1से 4 तक के दस्तावेज गांव झंवर से संबंधित रिकॉर्ड में जमा नहीं है व बिन्दु संख्या 1 से 4 सूचना प्रदान करे व आपके कार्यालय में जमा नहीं है तो अवगत करावे रिकॉर्ड किस आदेश/पत्र से कब कहां भेजा गया व अन्य बिन्दओुं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र उप तहसीलदार झंवर को प्रेषित कर दिया गया, उप तहसीलदार झंवर द्वारा जरिये पत्रांक 365 दिनांक 2.11.18 भिजवाई गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी / उप तहसीलदार झंवर) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उप तहसीलदार झंवर) से जरिये पत्रांक 04 दिनांक 07.01.2019 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि बिन्दु संख्या 1 से 4 चाही गई सूचना में मिसल बन्दोबस्त से संबंधित है जिसमें बन्दोबस्त उप तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, न ही मिसल बन्दोबस्त उप तहसील कार्यालय में प्राप्त हुई। अपीलार्थी ने रिपोर्ट के जबाब में बतलाया कि बिन्दु संख्या 1 से 4 संबधित रिकॉर्ड जमा नहीं है तो फिर महत्वपूर्ण रेवेन्यू रिकॉर्ड कहा गया, उप तहसील ने कब व कहां किस नम्बर व तारीख से भेजा–जांचकर सूचना उपलब्ध करवानी थी जो उपलब्ध नहीं करवाई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) की रिपोर्ट के अनुसार जाहिर होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा ग्राम झंवर जागीर के वक्त सेटलमेंट सम्वत् 1999 से संबंधित रिकॉर्ड की सूचना पहले कलक्टर कार्यालय(भू.अ.) जोधपुर से भी चाही गई थी जो सूचना जिला कार्यालय में उपलब्ध थी वो उपलब्ध करायी भी गई तथा सूचना उपलब्ध नहीं होने बाबत् उन्हें अवगत भी करवाया जा लगातार...	

चुका है। उपतहसीलदार झंवर द्वारा भी सेटलमेंट के रिकॉर्ड के अनुपलब्धा के बारे में प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अब इस प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त की जाती है । आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।।